राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –34/2015/जोधपुर

मैसर्स स्टेण्डर्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी,
रातानाडा जोधपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, जोधपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी.एम.चौपडा,
अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर

निर्णय दिनांक : 05/10/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलीय प्राधिकारी जोधपुर प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 93/आरवेट/जेयूए/14–15 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 07.11.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, जोधपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 27.03.2014 के जरिये अभिनिर्धारित विलम्ब शुल्क रूपये 5000/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म का वर्ष 2011–12 का कर निर्धारण दिनांक 27.03.2014 को पारित किया जाकर विवरण पत्र की देरी के लिए विलम्ब शुल्क रूपये 5000/– अभिनिर्धारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 83 के तहत यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक बताया और कथन किया कि धारा 21 के तहत विवरण पत्र प्रस्तुत करने पर किसी प्रकार की फीस आरोपित नहीं की जा सकती है। वैट नियमावली अधिनियम को संचालित करने हेतु प्रक्रियात्मक कानून है जो अधिनियम का स्थान नहीं ले सकता और न ही उसे प्रभावित कर सकता है। नियय 19ए में विवरणी को विलम्बता से पेश करने पर फीस कर दायी द्वारा जमा कराकर ही विवरणी प्रस्तुत करने का प्रावधान है। जबकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत

लगातार.....2

की गई विवरणी को वेब पोर्टल द्वारा मान्यता प्रदान कर दिये जाने से विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि प्रस्तुत की गई विवरणी deemed to be assessed की परिभाषा में मान्यता प्रदान की गई है तथा उसी के आधार पर कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है।

5. आगे कथन किया कि कर निर्धारण आदेश धारा 23 के तहत पारित किए जाने का तात्पर्य व्यवसायी द्वारा समस्त देय कर, ब्याज व फीस आदि जमा करवा दिए है एंव सशक्त अधिकारी द्वारा अपने खुले नेत्रों एवं चेतन्य मस्तिष्क से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के आधार पर स्व–कर निर्धारण योजना के तहत कर निर्धारण आदेश पारित कर विलम्ब शुल्क आरोपित किया है जो अविधिक है।

6. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विलम्ब शुल्क आरोपित करने से पूर्व नियम 49 एवं 50 के तहत समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया अतः समुचित अवसर के अभाव में आरोपित विलम्ब शुल्क अपास्त योग्य है। विलम्ब शुल्क किसी सुविधा के बदले विकल्प के रूप में अभिनिर्धारित की जानी वाली levy है। जबकि वेट अधिनियम में इस प्रकार की कोई सुविधा प्रदान नहीं की गयी है। विलम्ब शुल्क विधिक दृष्टि से विधिसम्मत नहीं होने से अभिनिर्धारित विलम्ब शुल्क अपास्त किया जावे। इस संबंध में 31VST 458 (LB) (WBHTsT) Howrah Tax payer's Association Vs Government of West Bengal & Anr. को उद्धरित किया।

7. सशक्त अधिकारी को विलम्ब शुल्क अभिनिर्धारण की शक्तियां भी प्रदत्त नहीं है अतः अभिनिर्धारित विलम्ब शुल्क अविधिक एवं शक्तियों से परे होने से अपास्त योग्य है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

8. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवसायी वक्त कर निर्धारण तक 19(4)(v) के तहत वार्षिक विवरण पत्र प्रस्तुत करने के लिये दायी है। अपीलार्थी ने वक्त कर निर्धारण तक कार्य मानचित्र वैट 41 व संबंधित E.C. की प्रतियां कार्यालय में प्रस्तुत की, परन्तु वैट रिटर्न देरी से प्रस्तुत किया। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

9. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि में संविदा कार्य मानचित्र वैट 41 व संबंधित E.C. की प्रतियां कार्यालय में प्रस्तुत की। अपीलार्थी द्वारा वार्षिक विवरण पत्र वैट 11 दिनांक 24.03.2014 को विभागीय वेबपोर्टल पर अपलोड करके 25.03.2014 को कार्यालय में विलम्ब शुल्क का अभिनिर्धारण करके शुल्क जमा करवाये बगैर ही हार्डकॉपी प्रस्तुत की गई है।

10. कर निर्धारण वर्ष 2011–12 की अवधि के समस्त विवरण पत्र वैट 11 सहित प्रस्तुत करने की समयावधि अधिसूचना क्रमांक F.16(375) Tax/CCT/2006/pt-I/1995, दिनांक 06.03.2013 द्वारा 30.04.2013 एवं वार्षिक विवरण पत्र वैट–10ए की समयावधि अधिसूचना क्रमांक F.16(375) Tax/VAT/

लगातार.....3

CCT/2006/pt-I/232, दिनांक 15.05.2013 द्वारा दिनांक 27.05.2013 तक के लिये बढाई गई है। अपीलार्थी फर्म द्वारा आलौच्य अवधि का अपेक्षित वार्षिक विवरण पत्र वैट–11, प्रदत्त/बढाई गई समयावधि में प्रस्तुत नहीं कर विलम्ब से पेश किया।

11. विवरण पत्रों के प्रस्तुत करने के संबंध में विधिक स्थिति धारा 21, नियम 19 एवं 19ए में निम्न प्रकार है :–

Sec.21, FILING OF RETURN - (1) Every registered dealer shall assess his liability under this Act, and shall furnish return, for such period, in such form and manner, and within such time and with such late fee not exceeding fifty thousand rupees, for delayed furnishing of returns, as may be prescribed, to the assessing authority or to the officer authorized by the Commissioner.

(2) Any person or a dealer as may be required by a notice to do so by the Assessing Authority or by an officer authorized by the Commissioner in this behalf, shall furnish return for such period in such form and manner and within such time as may be specified.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where (the Commissioner) if of the opinion that it is expedient in the public interest so to do may by a notification in the Official Gazette extend the date of submission of the returns or may dispense with the requirement of filing any or all the returns by a dealer or class of dealers.

19 Return (1) The return referred to in sub-section (1) of section 21 of the Act shall be submitted by a dealer in Form VAT-10, VAT-10A and VAT-11, as the case may be.

19 Return (1) The return referred to in sub-section (1) of section 21 of the Act shall be submitted by a dealer in Form VAT-10A and VAT- 11, as the case may be.

(2) Every dealer shall submit return electronically through the official web-site of the department unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager and in case it is not digitally signed, the dealer shall furnish, the aknowledgement generated through official web-site of the Department and shall be verified by himself or his business manager by affixing his signature on it, within fifteen days of the last date for filing of such return(s) , failiure to do so shall be deemed to be a case fo non filing of return(s).

(3) Where the amount of tax, interest or late fee, if any, is not paid electronically, the dealer shall furnish the copy of cahllan in Form VAT-37, receipit in Form VAT-38 or certificate of tax deduction at source, as a proof of deposit, to the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner within fifteen days of the last date for filing of such retunrs(s)\

(4) Return in Form VAT-11 shall be submitted, within ninety days of the end of the relevant year, by the following class of dealers ;

(a) who has opted for payment of tax under sub-section (2) of section 3; or

(b) who exclusively deals in goods ;

(i) which are exempted under the Act, or....."

एवं नियम 19(10) में विवरणी विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये है :–

लगातार.....4

" Rule 19(10) Where a dealer has failed to deposit due tax within the period notified under section 20 or has failed to submit a return within the period prescribed under section 21, in such cases, return(s) shall be submitted along with proof of deposit of due tax, late fee and interest, if any. Where such proof is not submitted, it shall be deemed to be case of non-filing of the return."

यदि अपेक्षित विवरण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तो उसके लिये विलम्ब शुल्क का प्रावधान नियम 19ए के तहत किया गया है जो कि निम्न प्रकार से है :–

19A Late fee - Where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of - (F.12(11)FD/Tax 2013-104 dt. 6.3.2013 w.e.f. 1.4.2013)
(i) rupees one hundred per day subject to a maximum of rupees twenty five thousand, in case the dealer is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act.
(ii) Rupees fifty per day subject to a maximum of rupees one thousand, in case there is no turnover of the dealer during the period under return, and
(iii) Rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand, in all other cases.

12. इस प्रकार कर निर्धारण वर्ष 2011–12 की अवधि के लिए, अधिनियम की धारा 21 में संशोधन व नियम 19ए जोडे (insertion) जाने के पश्चात की अवधि के लिए विवरण पत्रों की देरी के संबंध में विलम्ब शुल्क के प्रावधान लागू होंगे।

13. चूंकि वर्ष 2011–12 के लिये अपीलार्थी व्यवहारी को अपेक्षित वार्षिक विवरण पत्र वैट 11 में प्रस्तुत करना था जिसको प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि आयुक्त वाणिज्यिक कर की अधिसूचना 06.03.2013 के अनुसार 30.04.2013 थी जबकि अपीलार्थी व्यवहारी ने उक्त विवरण पत्र वेट 11 दिनांक 24.03.2014 को विभागीय वेब पोर्टल पर अपलोड करके दिनांक 25.03.2014 को कार्यालय में हार्डकॉपी प्रस्तुत की है। जिसमें विलम्ब शुल्क का भी अभिनिर्धारण कर जमा भी नहीं करवाया गया।

14. नियम 19ए के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी उक्त दोष के लिये नियम 19ए(iii) के अनुसार 50 रूपये प्रतिदिन परन्तु अधिकतम 5000/– रूपये तक के विलम्ब शुल्क का दायी होने की सीमा में आता है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त विलम्ब हेतु 5000 रूपये ही विलम्ब शुल्क लगाया है जिसको अपीलीय अधिकारी ने पुष्टि करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

15. उपरोक्त विश्लेषण और विवेचन के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

5.10.2016
(मदन लाल)
सदस्य